

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

13

(1.) प्रयाग राम पिता स्व० अमृत राम, (2.) प्रकाश राम पिता स्व० सुकर राम एवं (3.) रंजीत राम पिता स्व० बुधन राम, निवास स्थान ग्राम-अमृतनगर, कर्वेखुर्द, पोस्ट-कोर्ग, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द थाना नं०-172, खाता संख्या-07 प्लॉट संख्या-696 रकवा 0.07 एकड़ (07 डिसमिल) (सात डिसमिल) भूमि गुड्डी देवी पति कैलाश कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-अलौजाखुर्द, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केला का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-772/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 5070/रा० दिनांक 18.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 429 दिनांक 04.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत छकन भुइया वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.64 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 4.4475 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-1071 पर छकन भुइया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत हैं। आवेदक संख्या-1 के परदादा तथा आवेदक संख्या-2 एवं 3 के छरदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 4.3775 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कारक
टिप्पणी

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

इसी बीच सुगनी देवी द्वारा आवेदन-पत्र समर्पित कर सूचित किया गया है कि परिमिशन वाद संख्या 769/22, 772/22 एवं 732/22 में विक्रेता क्रमांक-3 रंजीत राम पिता स्व० बुधन राम की मृत्यु दिनांक 05.01.2023 को हो गयी है। मृत्यु के उपरान्त अंचल-सदर से निर्गत पारिवारिक सूची क्रमांक-132 दिनांक 12.04.2023 के अनुसार मृतक रंजीत राम की माता सुगनी देवी हैं। उपरोक्त वादों में उनके पुत्र रंजीत राम के स्थान पर सुगनी देवी पति बुधन राम का नाम जोड़ते हुए आदेश देने का अनुरोध किया गया है। सुगनी देवी द्वारा जाति / आवासीय / आधार की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

सुगनी देवी के आवेदन को स्वीकृत एवं अभिलेखबद्ध करते हुए वाद संख्या 772/2022 में विक्रेता क्रमांक-3 रंजीत राम पिता बुधन राम के नाम को विलोपित करते हुए उनकी माता सुगनी देवी पति स्व० बुधन राम प्रतिस्थापित की जाती है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा तथा सुगनी देवी से प्राप्त आवेदन एवं शपथ-पत्र के आलोक में (1.) प्रयाग राम पिता स्व० अमृत राम, (2.) प्रकाश राम पिता स्व० सुकर राम एवं (3.) सुगनी देवी पति स्व० बुधन राम, निवास स्थान ग्राम-अमृतनगर, कर्वेखुर्द, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द थाना नं०-172, खाता संख्या-07 प्लॉट संख्या-696 रकबा 0.07 एकड़ (07 दिसमिल) (सात दिसमिल) भूमि गुइडी देवी पति कैलाश कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-अलौंजाखुर्द, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।